# Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

| S.No. | | |
|---|---|---|
| 18 | Recommendation of the State Government:-<br>(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon) | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी. रायपुर को दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमंडल के बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना डिपाजिट–4 में लौह अयस्क उत्खनन हेतु रकबा 682.2722 हे. (वन भूमि 670.1770 हे. एवं राजस्व वन भूमि 12.0952) वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव पर निम्न शर्तों के अधीन राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है :–<br>"खनन क्षेत्र में गली–नाला में स्थित ट्री–फर्न को खनन कृत्य से नकारात्मक रुप से प्रभावित होने की संभावना होगी। अतः विद्यमान ट्री–फर्न क्षेत्र से कितनी दूरी पर खनन एवं आधारभूत संरचना हेतु स्थल प्रभावित किया जाना चाहिए का, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के विशेषज्ञों के दल से अध्ययन कराया जाकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा।<br>इसके अतिरिक्त व्यपवर्तन प्रस्ताव में कक्ष क्र. 1826 एवं 1827 में आधारभूत संरचनाओं के तहत् कन्वेयर बेल्ट निर्माण उक्त कक्ष में स्थित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र में प्रस्तावित है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र में कन्वेयर हेतु प्रभावित भूमि के बदले पृथक से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त किया जाना उचित होगा।" |

Signature

Date : 30 -01-2024

Place : Raipur

(Manoj Kumar Pingua)
Addl. Chief Secretary
Government of Chhattisgarh
Department of Forest & Climate Change
Mantralaya, Nava Raipur, Atal Nagar

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Additional Chief Secretary,
C.G. Govt.
Forest & Climate Change Department

# छत्तीसगढ़ शासन
# वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
# मंत्रालय,
# महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–39/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02/02/2024

प्रति,

**वनमहानिरीक्षक,**
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग, अलीगंज रोड़ नई दिल्ली –110003 ।

विषयः — दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु NMDC-CMDC द्वारा Proposal for Diversion of Forest land for Bailadila Iron Ore Deposite - 4 Mine हेतु क्षेत्रफल रकबा 670.177 हे. के अतिरिक्त रकबा 12.0925 हे. कुल रकबा 682.2722 हे. हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–305/1924, दिनांक 14.08.2023 ।

––000––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><th>बिंदु क्र.</th><th>विवरण</th><th>संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आवेदक विभाग का मांग पत्र –<br>आवेदनकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी. रायपुर द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमंडल के बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना डिपाजिट–4 में लौह अयस्क उत्खनन हेतु रकबा 682.2722 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म A भाग 1 तथा आफलाईन विवरण देते हुए मांग रखी गई है। आवेदित वन एवं राजस्व वन भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–<br><table><tr><th>वन भूमि</th><th>राजस्व वन भूमि</th><th>योग रकबा</th></tr><tr><td>670.1770</td><td>12.0952</td><td>682.2722</td></tr></table></td><td>1 – 6</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –<br>वनमंडलाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/MIN/146694/2021 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि कार्यालयीन पत्र दिनांक 13.06.2022 के आधार पर की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क 6000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क 1,15,000/– जमा कराये गये हैं।</td><td>7 – 11</td></tr>
<tr><td>3</td><td>वन क्षेत्र का विवरण –<br>व्यपवर्तन हेतु आवेदित 682.2722 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि का विवरण दर्शित है जो आवेदक संस्थान तथा वनमंडलाधिकारी दंतेवाड़ा वनमंडल द्वारा हस्ताक्षरित है।</td><td>12 – 15</td></tr>
</table>

क्रमश :2

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|---|---|---|
| 4 | **गैर वनक्षेत्र का विवरण** – <br>प्रस्तावित परियोजना में 10.3706 **हे.** गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है, गैर वन भूमि का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है। | **16 – 17** |
| 5 | **व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर** – <br>682.2722 हे. आ रही है जिसे सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट क्रमांक E44J1, E44J2, E44J5, E44J6,1:50000 स्केल पर दिखाया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी दंतेवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित है। | **18 – 20** |
| 6 | **वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप** – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है। | **21 – 23** |
| 7 | **प्रपत्र–4 में** – प्रपत्र–4 में परियोजना की अनुमानित लागत लगभग रू. 4091.33 करोड़ है। वनमंडलाधिकारी दंतेवाड़ा ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है तथा उल्लेख किया गया है कि दूसरे सभी विकल्पो का परीक्षण कर लिया गया है और आवेदित वन भूमि न्यूनतम है। वन भूमि का घनत्व 0.2 से 0.6 है। | **24 – 34** |
| 8 | **प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप** – प्रस्ताव में संलग्न है। | **35 – 37** |
| 9 | **वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र** – <br>आवेदित वन क्षेत्र के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। | **38 – 39** |
| 10 | **न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र** – <br>एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी. लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप –04 रकबा 682.2722 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के लिए अन्य सभी विकल्पों का पता लगा लिया गया और प्रस्तावित वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है, इस आशय का वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है। | **40 – 47** |
| 11 | **पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र** – <br>प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक IAJ–11015/104/2021–IA-II (NCM) दिनांक 21.02.2022 से दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप –04 रकबा 682.2722 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के लिए टी.ओ.आर. जारी किया गया है। पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र जमा करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। | **48 – 80** |
| 12 | **वृक्ष विदोहन विवरण** – <br>आवेदित वन भूमि रकबा 682.2722 हे. वन क्षेत्र में 3,40,332 नग विभिन्न प्रजातियों के खड़े वृक्षों की गणना ग्रिड सेम्पल प्लाट के आधार पर किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र में खड़े वृक्षों की 100 प्रतिशत गणना द्वितीय चरण की स्वीकृति पश्चात विदोहन योजना तैयार करने के पूर्व किया जावेगा। | **81 – 85** |

क्रमश :3

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|---|---|---|
| 13 | **कास्ट/बेलिफिट ऐनालिसिस –**<br>कास्ट बेनिफिट एनालिसिस संलग्न है। कास्ट बेनिफिट रेसियो 1:163 है। विस्तृत गणना पत्रक प्रस्ताव में संलग्न है। | **86 – 91** |
| 14 | **चयनित गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा कि नकल मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तातंरण आदेश) –**<br>दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप–04 रकबा 682.2722 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन भूमि मरवाही वनमंडल में 530.302 हे., एवं जांजगीर–चांपा वनमंडल में 846.296 कुल 1376.598 हे. का 10 वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन मय उपचार मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है। | **92 – 93** |
| 15 | **गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –**<br>प्रस्तावित परियोजना आरक्षित वन, संरक्षित वन क्षेत्र एवं नारंगी वन क्षेत्र (आरेंज एरिया) में प्रस्तावित होने के कारण गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा की आवश्यकता नहीं है, तदाशय का वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान एन.एम.डी.सी. एवं सी.एम.डी.सी. का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है। | **94 – 95** |
| 16 | **स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –**<br>बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना डिपाजिट–4 में रकबा 682.2722 हे. (वन भूमि 670.1770 हे.+राजस्व वन भूमि 12.0952 हे.) वनभूमि एवं राजस्व वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन भूमि मरवाही वन मंडल में 530.302 हे., एवं जांजगीर–चांपा वनमंडल में 846.296 कुल 1376.598 हे. का 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना प्रस्ताव में संलग्न है। | **96 – 97** |
| 17 | **वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –**<br>आवेदक एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी. लिमिटे रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप–04 हेतु रकबा 682.2727 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के बदले दुगुने रेबा 1364.5444 हे. भूमि हेतु स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र हेतु जांजगीर–चांपा एवं मरवाही वन मंडल द्वारा अनुमोदित वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। | **1601–1607 AF** |
| 18 | **अधिनियम उल्लघंन अंतर्गत कार्यो का विवरण –**<br>एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी. लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप –04 हेतु रकबा 682.2722 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि में कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है एवं उक्त प्रकरण में किसी भी अधिकारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है। | **1608 – 1609** |

क्रमश :4

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|---|---|---|
| 19 | **अधिनियम उल्लघंन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –**<br>अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी का निर्धारण नहीं किया गया है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है। | 1610 – 1611 |
| 20 | **अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –**<br>अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं किया गया है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है। | 1612 – 1613 |
| 21 | **वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र** – प्रस्तावित लौह अयस्क उत्खनन परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र दिनांक 02.08.2023 से जारी गैर वन भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। | 1615 – 1619 |
| 22 | **कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –**<br>दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप–04 रकबा 682.2722 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव में कैचमेंट–ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है। | 1621 |
| 23 | **रिक्लेमेशन प्लान –**<br>दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमंडल अंतर्गत बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप–4 हेतु आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षरित रिक्लेमेशन प्लान का पत्रक प्रस्ताव में तैयार कर संलग्न है। | 1623– 1629 |
| 24 | **माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –**<br>बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप–4 हेतु खनन योजना (MINING PLAN) का अनुमोदन भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक दंतेवा/लौह/खयो –1292–रायपुर दिनांक 24.09.2021 द्वारा प्रदान किया गया है, माईनिंग प्लान की अनुमोदित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है। | 1630 – 1733 |
| 25 | **व्यवस्थापन प्लान–**<br>आवेदक संस्थान एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी.लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन अनुसार दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप–4 हेतु निर्धारित प्रपत्र में पृथक से जानकारी प्रेषित की जावेगी (as per LARRA Act, 2013)। | 1635 |
| 26 | **वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित(प्रपत्र I से IV तक )–**<br>वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 30.05.2023 तथा इसके आधार पर भरा गया भाग–2 संलग्न है। वनो का घनत्व 0.2 से 0.6 बताया गया है। मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त द्वारा वनमंडलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर स्थल निरीक्षण दिनांक 20.06.2023 से प्रस्तावित व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है। | 1636 – 1643 |

क्रमशः :5

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|---|---|---|
| 27 | **ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण –पत्र –**<br>दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत बैलाडीला लौह अयस्क खनन परियोजना निक्षेप – 04 रकबा 682.2722 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक/पुरातात्विक महत्व के स्थल नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है। | **1645** |
| 28 | **संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –**<br>प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव हेतु चयनित वनभूमि के समीप स्थित ग्राम पंचायत, भांसी, बड़े कमेली एवं पोरो कमेली ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण प्रस्ताव में संलग्न है। | **1647** |
| 29 | **जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) –**<br>प्रस्ताव में जिले की कुल वनभूमि 12425.05 हे. का विवरण संलग्न है। | **1738** |
| 30 | **वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले की स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –**<br>वन संरक्षण अधिनियम 1980 स्वीकृत 24 प्रकरणों में कुल 3217.640 हे. वन भूमि प्रभावित है। प्रमाण पत्र संलग्न है। | **1740** |
| 31 | **1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में** – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल 8 प्रकरणों के लिए प्रत्यावर्तन वनभूमि 3043.587 हे. दर्शित है। | **1742** |
| 32 | **प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उधान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति न होने की जानकारी–**<br>एन.एम.डी.सी–सी.एम.डी.सी. लिमिडेट रायपुर छत्तीसगढ़ को दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप–04 हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित भी नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है। | **1744** |
| 33 | **15 कि.मी. परिधि के नक्शें में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन (केवल खनन प्रकरण में)** – 15 कि.मी. परिधि के नक्शें में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन कर मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है। | **1746 – 1747** |
| 34 | **वन अधिकार मान्यता वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –**<br>एन.एम.डी.सी–सी.एम.डी.सी. लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ को दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप–04 हेतु वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 26.02.2019 के द्वारा गाईड लाईन अनुसार प्रथम चरण स्वीकृति के पश्चात प्रस्तुत किया जायेगा। | **1748 – 1752** |

क्रमश :6

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|---|---|---|
| 35 | **राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –**<br>व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वन भूमि रकबा 12.0952 हे. जिसमे से कलेक्टर दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा द्वारा दिनांक 21.07.2023 से 11.292 हे.का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है। | 1754 – 1760 |
| 36 | **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –**<br>प्रस्तावित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रायपुर जो भी प्रत्याशा शुल्क निर्धारित करेगा, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने के लिए आवेदक संस्थान एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी लिमिटेड, रायपुर छत्तीसगढ़ वचनबद्ध है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। | 1762 – 1763 |
| 37 | **Clearance under FC Act, 1980 Deposition of funds with the AD-hoc CAMPA : Remittances of precede 2nd stage Clearance –**<br>आवेदित वन भूमि रकबा 682.2722 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव से संबंधित भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा जो भी राशि निर्धारित की जाती है वह राशि कैम्पा निधि में तत्काल जमा करने हेतु आवेदक संस्थान एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी. का वचन पत्र संलग्न है। | 1765 |
| 38 | **A detailed note on soil productivity or the lack of it –**<br>आवेदित वन भूमि बचेली परिक्षेत्र के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1822, 1824, 1825, 1826, 1834, 1811, 1832, 1833, 1886, 1885, 1842 एवं 1841 में बेचली लौह अयस्क खान, निक्षेप 04 में लौह अयस्क उत्खनन हेतु 670.177 हे. वन क्षेत्र में खनन पट्टा तथा निक्षेप 04 के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना हेतु बचेली वन परिक्षेत्र के राजस्व वन भूमि रकबा 12.0952 हे. कुल 682.2722 हे0 वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। आवेदित क्षेत्र में मिट्टी की गहराई अत्याधिक कम तथा भूमि की वर्तमान दशा कंकरीली, सैंडी लोक तथा प्रायः वनस्पति रहित है। भूमि की ऐसी दशा प्राकृतिक (Geo-Logical) कारणों से है। मृदा की जांच के उपरांत प्राप्त परिणामों का विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न है। | 1767 – 1781 |
| 39 | **परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –**<br>एन.एम.डी.सी–सी.एम.डी.सी. लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ को दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप–04 हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 682.2722 हे. में किसी भी प्रकार की भूमि में किसी भी प्रकार की खनन कार्य प्रारंभ नही किया गया है। व्यपवर्तन के पश्चात ही प्रस्तावित भूमि पर खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा। आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है। | 1783 |

क्रमश :7

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|---|---|---|
| 40 | **Division of large area (more then 500 ha)of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (conservation)Act 1980 Stipulation of additipna condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) –**<br>व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा 682.2722 हे. वन भूमि आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप–04 हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव जो 500.00 हे. से अधिक क्षेत्र में स्थित है, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आवेदक संथान द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने तथा संचालित करने हेतु आवेदक संस्थान एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी. रायपुर का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। | 1785 – 1786 |
| 41 | **पंजयीन कमांक –**<br>चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक–2 में विवरण दिया गया है। | 1788 – 1791 |
| 42 | **वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –**<br>आवेदक एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी. लिमिटेड, रायपुर के प्रतिवेदन अनुसार व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा 682.2722 हे. वन भूमि आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 04 हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव के प्रथम चरण स्वीकृति के बाद वन्यप्राणी परियोजना तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत सहित वन्यप्राणी प्रबंधन परियोजना प्रस्तुत किया जावेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। | 1793 –1794 |
| 43 | **विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा ग्रीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –**<br>प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नही होने के कारण जानकारी निरंक है। | 1796 |
| 44 | **प्रस्ताव में अन्य (Misc) जानकारी का विवरण** – निरंक है। | 1798 |

प्रकरण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः – प्रस्ताव 1 प्रति में।

14/2/24

(मयंक पाण्डेय)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमशः 8

पृ.क्रमांक एफ 5–39/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02/02/2024

प्रतिलिपिः–

1.वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ – 492015 की ओर विषयांकित प्रस्ताव की 1 प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़।

3.मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

4.वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमंडल, छत्तीसगढ़।

5.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी., ग्रीन वेली सिटी, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, बोरियाकला, सेजबहार, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2/2/24

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग